खास खबरें

किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला

नप्र, भोपालः छोलामंदिर थाना क्षेत्र के भंवर नगर निवासी की 17 वर्षीय को अज्ञात व्यक्ति द्वारा ले जाने का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी अज्ञात है और पुलिस किशोरी की तलाश में जुटी है।

दशहरा मैदान से बाइक चोरी

हबीबगंज के दशहरा मैदान क्षेत्र से सुमित रैकवार की होंडा मोटरसाइकिल (एमपी-04 क्यूसी-3950) चोरी हो गई। फरियादी ने अज्ञात चोर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने वाहन चोरी का मामला कायम कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

अरेरा कॉलोनी से पल्सर बाइक चोरी

अरेरा कॉलोनी निवासी सरवन सिंह की पल्सर मोटरसाइकिल अज्ञात चोर चुरा ले गया। बाइक की कीमत लगभग 30 हजार रुपये बताई गई है। हबीबगंज पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ऑटो चोरी, फरियादी फिरोज खान

पिपलानी के शांति नगर निवासी फिरोज खान का ऑटो (एमपी-04 वायसी-4144) अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गया। वाहन की कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू की है।

विश्रामघाट के सामने सड़क हादसा

ऐशबाग क्षेत्र में अमित सिंह राठौर की शिकायत पर बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि चालक ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए टक्कर मार दी, जिससे दुर्घटना हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

युवक खेत में मृत मिला

मिसरोद थाना क्षेत्र के मुंडारी घाट में खेत पर लगभग 35 वर्षीय अज्ञात युवक मृत अवस्था में मिला। सूचना फूल सिंह द्वारा दी गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

पांच लोग लापता परिजन परेशान

छोलामंदिर और पिपलानी क्षेत्रों से इरफान अली, पूजा अहिरवार, योगेश कुमार, सुनीता और अचाना चिढ़ार के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज हुई है। परिजनों ने बताया कि सभी बिना बताए घर से चले गए। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है।

दोस्त को बुलाने की बात पर मारपीट

पिपलानी के निजामुद्दीन क्षेत्र निवासी उदित शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई कि अज्ञात आरोपी ने दोस्त को बुलाने की बात पर गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जातिसूचक गाली देकर मारपीट

बैरसिया के बरेलाखेड़ा में इंदर सिंह जाटव ने रोहित ठाकुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि पैसों के विवाद में जातिसूचक शब्द कहकर गाली-गलौज, मारपीट और धमकी दी गई।

राजधानी में टैक्सी किराया सौ फीसदी तक बढ़ा, एयरपोर्ट राइड 450 रुपए तक पहुंची

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः शहर में कैब सेवाओं के किराए में बड़ा बदलाव हुआ है। उबर, ओला और रैपिडो जैसी कंपनियों की एयरपोर्ट राइड और सिटी राइड के दामों में करीब 10 साल बाद बढ़ोतरी की गई है। नए रेट लागू होने के बाद यात्रियों की जेब पर सीधा असर पड़ने लगा है।

नई दरों के अनुसार एयरपोर्ट से शहर के अलग-अलग इलाकों तक किराए में 20 से 100 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उबर की न्यूनतम एयरपोर्ट राइड, जो पहले 50 से 60 रुपए थी, अब बढ़कर 120 से 150 रुपए तक पहुंच गई है। वहीं 220-230 रुपए वाली सामान्य राइड अब 270-280 रुपए में मिल रही है। प्रीमियम कैटेगरी में भी लगभग 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है।

एयरपोर्ट से अवधपुरी तक जाने वाली प्रीमियम राइड, जो पहले करीब 350 रुपए थी, अब बढ़कर 440 से 450 रुपए तक पहुंच गई है। इसी तरह एमपी नगर जैसे प्रमुख रूट पर भी किराया बढ़कर 270-280 रुपए हो गया है। भोपाल टैक्सी चालक संघ का कहना है कि बढ़ती पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों के कारण लंबे समय से किराया संशोधन की मांग की जा रही थी।

संघ के अनुसार उबर ने आंशिक संशोधन कर दिया है, जबकि ओला और रैपिडो ने भी किराया बढ़ाने पर सहमति जताई है, लेकिन अंतिम निर्णय बाकी है। रैपिडो ने 25 जून तक का समय मांगा है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय में उचित संशोधन नहीं किया गया तो सभी यूनियन मिलकर आंदोलन और बहिष्कार कर सकती हैं। किराया बढ़ने का असर सीधे यात्रियों पर पड़ा है और आने वाले दिनों में सिटी राइड के रेट भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

आयुष्मान योजना में बड़ी कार्रवाईः भोपाल के 91 अस्पताल पैनल से बाहर

फर्जी क्लेम और अनियमितताओं पर स्वास्थ्य विभाग सख्त

नप्र, भोपालः आयुष्मान भारत निरामयम योजना में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी के 91 अस्पतालों को पैनल से बाहर (डी-एम्पैनल) कर दिया है। इन अस्पतालों पर फर्जी क्लेम, मरीजों को बिना आवश्यकता भर्ती दिखाने तथा योजना के नियमों का उल्लंघन करने जैसे आरोप सही पाए गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा हाल ही में की गई औचक जांच और ऑडिट के दौरान कई निजी अस्पतालों में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। जांच में पाया गया कि कुछ अस्पतालों ने अधिक राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से मरीजों को अनावश्यक रूप से भर्ती किया, जबकि कुछ मामलों में सामान्य बीमारियों के मरीजों को आईसीयू

में रखकर भारी-भरकम क्लेम किए गए। अधिकारियों के अनुसार कई अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और अन्य आवश्यक सुविधाओं का अभाव भी पाया गया। वहीं कुछ अस्पताल लंबे समय से आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को सेवाएं नहीं दे रहे थे, जिसके चलते उनकी मान्यता समाप्त कर दी गई। कार्रवाई के बाद अब भोपाल जिले में आयुष्मान भारत निरामयम योजना के तहत 263 अस्पताल ही मान्य रह गए हैं। इनमें 235 निजी और 28 सरकारी अस्पताल शामिल हैं। इनमें से 146 अस्पताल एनएबीएच मान्यता प्राप्त हैं, जहां राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस बीच, जेपी अस्पताल में ओपीडी मरीजों को फिर से आयुष्मान योजना का लाभ मिलने की तैयारी है। साथ ही अस्पताल में एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी सुविधाएं भी शुरू किए जाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

आयुष्मान भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक अग्रवाल ने कहा कि योजना के मानकों के विपरीत कार्य करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मरीजों के हितों और सरकारी संसाधनों की सुरक्षा के लिए अस्पतालों की लगातार निगरानी की जा रही है।

मनुआभान टेकरी पर युवक-युवती से लूट के आरोपी गिरफ्तार

चाकू की नोक पर वारदात को दिया था अंजाम, डेढ़ लाख का माल बरामद

नप्र, भोपालः कोहेफिजा थाना पुलिस ने मनुआभान टेकरी क्षेत्र में युवक-युवती से लूट की वारदात का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में तीन युवक और एक विधि-विरोधी बालक शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया सामान, घटना में प्रयुक्त चाकू तथा वारदात के बाद भागने में इस्तेमाल वाहन बरामद किया है।

पुलिस के अनुसार कैलाश नगर, अशोका गार्डन निवासी गौरव रावत (23) ने 23 जून को कोहेफिजा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। गौरव ने बताया कि वह अपनी महिला मित्र के साथ मनुआभान टेकरी घूमने गया था। शाम करीब 4:30 बजे दोनों टेकरी के अंदर एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी कुछ युवक वहां पहुंचे।

आरोप है कि एक युवक ने उसकी महिला मित्र के गले पर चाकू रख दिया। विरोध करने पर अन्य आरोपियों ने गौरव को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की। इसके बाद आरोपी उसकी हाथ घड़ी, बाइक की चाबी, ईयरबड्स, नकदी और यामाहा मोटरसाइकिल लूटकर फरार हो गए। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस आयुक्त संजय कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त तथा जोन-3 के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई। जांच के दौरान मिले सुराग और एक फोन कॉल के आधार पर पुलिस ने गांधी नगर क्षेत्र से अंसार उर्फ भय्यू, फैसल खान उर्फ बिट्टू, समीर खान और एक 17 वर्षीय विधि-विरोधी बालक को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फरियादी की हाथ घड़ी, बोट्स कंपनी के ईयरबड्स, यामाहा मोटरसाइकिल, वारदात में प्रयुक्त चाकू तथा आरोपियों का वाहन बरामद किया है। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 1.50 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस आरोपियों से अन्य मामलों में भी पूछताछ कर रही है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है, ताकि उनसे अन्य वारदातों के संबंध में जानकारी जुटाई जा सके।

बारिश से पहले निगम अलर्ट 2184 जर्जर भवन स्वामियों को नोटिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः वर्षा ऋतु के दौरान नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम ने शहरभर में जर्जर एवं भयप्रद भवनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। निगम द्वारा किए गए सर्वेक्षण में अब तक 3435 अति जर्जर, जर्जर एवं खतरनाक भवन चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 2184 भवन स्वामियों को नोटिस जारी कर भवनों की मरम्मत कराने अथवा जर्जर हिस्सों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम आयुक्त श्रीमती संस्कृति जैन के निर्देश पर यांत्रिक विभाग द्वारा सभी वार्डों में सघन सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण में 971 निजी और 2464 शासकीय भवन जर्जर अवस्था में पाए गए। इनमें 17 निजी भवन और 740 शासकीय भवन अति जर्जर श्रेणी में हैं। निगम के अनुसार शहर में सबसे अधिक खतरा ऐशबाग क्षेत्र स्थित मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड के 600 ईडब्ल्यूएस (जनता क्वार्टर) आवासों से है, जो अत्यंत जर्जर स्थिति में हैं। इन भवनों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निगम आयुक्त ने मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल को पत्र लिखकर रहवासियों के पुनर्वास तथा जर्जर भवनों को तोड़ने अथवा उनका संधारण कराने का अनुरोध किया है। नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी किए जाने के बाद 25 भवन स्वामियों ने अपने भवनों की मरम्मत और संधारण का कार्य कराया है, जबकि 35 जर्जर एवं भयप्रद भवनों को हटाने की कार्रवाई भी की जा चुकी है।

संतनगर के सीआरपी क्षेत्र का मामला

विशेष समुदाय की गतिविधियों का विरोध, पुलिस ने दी समझाइश

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः संतनगर के सीआरपी क्षेत्र में विवाद की स्थिति बन गई। वजह एक धर्म विशेष की गतिविधियां थीं। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने आपत्ति जताई। मामले को लेकर लोग थाने भी पहुंचे। समझाइश के बाद गतिविधि पर रोक लगने के बाद मामला शांत हुआ।

विवाद के चलते पूज्य सिंधी पंचायत के महासचिव राजकुमार वाधवानी और सह सचिव किशोर साधवानी के नेतृत्व में नागरिकों का एक समूह स्थानीय थाने पहुंचा। लोगों का कहना था, इलाके में दूसरे धर्म की आबादी बड़ी संख्या में रहती हैं, इस तरह की गतिविधि पहले कभी नहीं हुई। पहली बार धर्म विशेष द्वारा पर्व की तैयारियां की जा रही थीं। इससे टकराव की स्थिति बन सकती थी। मामले में थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग

की गई। मामले की जानकारी विधायक प्रतिनिधि राम बंसल को दी गई, उन्होंने पुलिस से हस्तक्षेप करने को कहा। इसके बाद पुलिस ने संबंधित व्यक्ति को समझाइश देकर गतिविधि बंद कराई।

विरोध करने वालों में बसंत चेलानी, राजेश लखवानी, सुमित अहूजा, प्रदीप मोनी, संदीप पाटीदार, बंटी मोटवानी, प्रकाश और संदीप पाटिल सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

नगर निगम ने की 118 जल नमूनों की जांच

नप्र, भोपालः नगर निगम भोपाल द्वारा शहरवासियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण, पाइपलाइन लीकेज सुधार और शिकायतों के त्वरित निराकरण की कार्यवाही लगातार जारी है। निगम अमले ने बुधवार को शहर के विभिन्न झुग्गी बस्तियों सहित अन्य क्षेत्रों से कुल 118 स्थानों से जल के नमूने एकत्र किए। इन नमूनों की जांच 8 प्रयोगशालाओं के माध्यम से की जा रही है, जिसमें जल की गंध, रंग, स्वाद, अवशिष्ट क्लोरीन, पीएच, टर्बिडिटी और बैक्टीरिया की जांच शामिल है। इसी क्रम में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 43 स्थानों पर पाइपलाइन लीकेज को सुधारने की कार्रवाई की गई। साथ ही सीएम हेल्पलाइन एवं महापौर हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों में से 8 शिकायतों का संतोषजनक निराकरण किया गया। नगर निगम द्वारा अब तक कुल 23,072 जल नमूनों की जांच की जा चुकी है तथा 6,552 लीकेज सुधार कार्य किए गए हैं।

भोपाल में रोलिंग पेपर और स्मोकिंग कोन की बिक्री पर प्रतिबंध

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः शहर में नाबालिगों और युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस आयुक्त भोपाल श्री संजय कुमार ने बड़ा कदम उठाया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश में भोपाल नगरीय क्षेत्र में रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन और पर्फेक्ट रोल की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से प्राप्त शिकायतों में यह तथ्य सामने आया है कि नाबालिग और युवा चरस, गांजा जैसे मादक पदार्थों के सेवन के लिए रोलिंग पेपर एवं स्मोकिंग कोन का उपयोग कर रहे हैं। इन उत्पादों के माध्यम से नशीले पदार्थों को आसानी से छिपाया, ले जाया और सेवन किया जा सकता है।

आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि इन उत्पादों में टाइटेनियम ऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट, आर्टिफिशियल डाई, कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन ब्लीच जैसे हानिकारक तत्व पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं।

पुलिस के अनुसार रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन और पर्फेक्ट रोल पान की दुकानों, परचून एवं किराना दुकानों तथा चाय की दुकानों पर आसानी से उपलब्ध हो रहे थे, जिससे इन तक नाबालिगों की पहुंच भी आसान हो गई थी। इसके चलते युवाओं में नशे की प्रवृत्ति और नशे से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि की आशंका जताई गई है।

आदेश के तहत भोपाल शहर की सीमा में पान, किराना, परचून और चाय की दुकानों जैसे सार्वजनिक रूप से सुलभ स्थानों पर इन उत्पादों के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और यदि इसे पूर्व में वापस नहीं लिया गया तो यह आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा।

बढ़े हुए बिजली बिल से मिलेगी राहत

औसत से पांच गुना ज्यादा बिल पर लगेगा 'रेड अलर्ट'

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के बिजली उपभोक्ताओं को अब अचानक आने वाले भारी-भरकम बिजली बिलों से राहत मिलने वाली है। बिजली कंपनियों के बिलिंग सॉफ्टवेयर में नई व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसके तहत यदि किसी उपभोक्ता का बिल पिछले छह महीनों के औसत बिल से पांच गुना अधिक आता है तो सिस्टम स्वत: उसे रोक देगा और उस पर 'रेड अलर्ट' जारी कर देगा।

नई व्यवस्था का उद्देश्य मीटर रीडिंग में गड़बड़ी, तकनीकी खराबी या अन्य कारणों से बनने वाले असामान्य बिलों पर नियंत्रण करना है। बिल पर रेड अलर्ट लगने के बाद उसे सीधे जांच प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को 30 दिनों के भीतर मामले का निराकरण करना होगा। इसके लिए मीटर की जांच, मौके का निरीक्षण और बिल की सत्यता की पड़ताल की जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

भोपाल जिले में वर्तमान में लगभग चार लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जबकि दो लाख मीटर और लगाए जाने हैं। हर माह करीब छह लाख बिजली बिल जारी किए जाते हैं। इनमें बड़ी संख्या में उपभोक्ता बिल संबंधी शिकायतें दर्ज कराते हैं। हाल ही में अतिरिक्त बिजली खपत के कारण कई उपभोक्ता सब्सिडी दायरे से बाहर हो गए थे, जिससे उनके बिल सामान्य से कई गुना बढ़ गए थे। इधर, बिजली कंपनी स्मार्ट मीटर से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उपभोक्ताओं के स्वीकृत विद्युत भार (लोड) की भी जांच करेगी। यदि कोई उपभोक्ता निर्धारित क्षमता से अधिक बिजली का उपयोग करता पाया गया तो उससे अतिरिक्त शुल्क वसूला जा सकता है और भार बढ़ाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। बिजली नियामक आयोग के अनुसार, नई व्यवस्था से बिलिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और उपभोक्ताओं की शिकायतों में कमी आने की उम्मीद है।

सीएम हेल्पलाइन को बिजली कनेक्शन और आधार से लिंक करने की मांग

नप्र, भोपालः बिजली सेक्टर में सीएम हेल्पलाइन के कथित दुरुपयोग को रोकने के लिए शिकायत प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सत्यापित बनाने की मांग उठी है।

बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रांतीय संगठन मंत्री मनोज भार्गव और महामंत्री दिनेश सिसोदिया ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग और बिजली कंपनियों के अधिकारियों को इस संबंध में सुझाव भेजे हैं। संगठन का कहना है कि सीएम हेल्पलाइन का उद्देश्य बिजली संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान करना है, लेकिन कई मामलों में बिजली बकायादारों और बिजली चोरी से जुड़े लोग अलग-अलग नामों से शिकायत दर्ज कर व्यवस्था पर अनावश्यक दबाव बनाते हैं। इससे वास्तविक शिकायतों के निराकरण में भी बाधा आती है। संगठन ने सुझाव दिया है कि शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को बिजली सर्विस कनेक्शन नंबर और आधार कार्ड से जोड़ा जाए। साथ ही ओटीपी आधारित सत्यापन को अनिवार्य किया जाए, ताकि केवल वास्तविक उपभोक्ता ही शिकायत दर्ज कर सकें।

लेखा प्रशिक्षण सत्र 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक

भोपाल। प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला भोपाल ने जानकारी दी है कि नियमित लेखा प्रशिक्षण सत्र वर्ष 2026 का आयोजन 1 अगस्त से 31 अक्टूबरतक किया जाएगा। प्रशिक्षण में शामिल होने के इच्छुक लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र तीन मूल प्रतियों में कार्यालय प्रमुख से अभिप्रमाणित कराकर 15 जुलाई तक लेखा प्रशिक्षण शाला, भोपाल में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। वित्त विभाग के अनुसार प्रशिक्षण के लिए वही लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी पात्र होंगे जिन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा नियमानुसार परीक्षा से छूट प्राप्त की हो। साथ ही आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज एवं परीवीक्षा अवधि पूर्ण होने का प्रमाण प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को अपना जाति प्रमाण-पत्र कार्यालय प्रमुख से सत्यापित कर आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

कौशल आधारित शिक्षा से बनेगा आत्मनिर्भर भारत : डॉ. कान्हेरे

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अंतर्गत आयोजित विद्या भारती मध्यभारत प्रांत की तीन दिवसीय 'कौशल बोध मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यशाला' का समापन बुधवार को पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान में हुआ।

समापन समारोह के मुख्य अतिथि विद्या भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष डॉ. रविन्द्र कान्हेरे ने कहा कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए कौशल आधारित शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रखकर जीवन, समाज और रोजगार से जोड़ना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि कौशल बोध का उद्देश्य विद्यार्थियों में श्रम के प्रति सम्मान, आत्मविश्वास और कार्यकुशलता विकसित करना है।

डॉ. कान्हेरे ने कहा कि वास्तविक दक्षता निरंतर अभ्यास और व्यवहारिक अनुभव से प्राप्त होती है। विद्यालयों में विद्यार्थियों को कृषि, बागवानी, हस्तकला, फूड प्रोसेसिंग और अन्य जीवनोपयोगी कौशलों से जोड़ने की आवश्यकता है, जिससे उनमें आत्मनिर्भरता और नवाचार की भावना विकसित हो सके।

कार्यशाला में गतिविधि आधारित अधिगम, जीवन कौशल, कार्य आधारित शिक्षा तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन दिया। प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कक्षा 6 से 8 तक कौशल बोध और कार्य के प्रति सम्मान विकसित करने तथा कक्षा 9 से 12 तक विद्यार्थियों को रोजगार और उद्यमिता के लिए तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

M.P. STATE TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
Paryatan Bhawan, Bhadbhada Road, Bhopal-462003
फोन : +91-755-4027100, 2774340, 42 www.mpstdc.com
क्रमांक 305/यांत्रिकी/पविनि/26 दिनांक : 24.06.2026

NOTICE INVITING TENDER 249/2026_STDC_517466_1

MPSTDC invites RFP for "Supply, installation, testing and commissioning of LED Screens including creation of immersive Dynamic 3D Anamorphic content 4K/8K (Operation and Maintenance) at Indore and Bhopal" PAC- 1343.37 lakhs For any other information contact Mr. J.S. Bhardwaj, Mob. No. 9424796645 or E-mail at **jbhardwaj@mpstdc.com** Last date and Time for Online RFP Purchase and submission **last date is 29.07.2026 Time 05:00 PM.** The detailed terms & conditions can be downloaded dt. 30.06.2026 from website **https://mptenders.gov.in**
M.P. Madhyam/126556/2026 **EXECUTIVE ENGINEER**

सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय
कार्यालय प्राचार्य, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016, दूरभाष : 0755-2552560
(कार्या.) 0755-2469466 (नि.), फैक्स : 0755-2552567, ई-मेल : hegsngpgcbho@mp.gov.in
Website : https://snggpg.in, https://highereducation.mp.gov.in
क्रमांक/Q-1/स्था./सनाशाकम/2026 भोपाल, दिनांक : 24.06.2026

विज्ञप्ति

महाविद्यालय में सत्र 2025-26 हेतु Lab Chemicals, Mess and Canteen Housekeeping and Security हेतु निविदा mptender portal के माध्यम से किया गया है एवं Computer Printer Photocopy Machine हेतु ए.एम.सी. एवं वाटर कूलर आरो हेतु निविदा जेम पोर्टल के माध्यम से किया गया था।

Serial No.	Details	Tender ID	End Date
1.	Lab Chemicals	2026_HED_516162_1 774/2026	16.07.2026
2.	Mess and Canteen	2026_HED_516164_1 775/2026	16.07.2026
3.	Housekeeping and Security	2026_HED_516169_1 776/2026	16.07.2026
4.	Computer, Printer, Photocopy की AMC	Gem2026/B/7691343	30.06.2026
5.	Water Cooler RO	Gem2026/B/7691168	15.07.2026

इच्छुक प्रदायकर्ता फर्म **https://gem.gov.in/mptender** पोर्टल पर दर्शित नियम एवं शर्तों के अनुरूप में सम्मिलित हो सकता है। निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन महाविद्यालय की वेबसाइट **www.snggpg.in** पर ही किया जाएगा, पृथक से समाचार-पत्र में प्रकाशन नहीं किया जाएगा।
म.प्र. माध्यम/126562/2026 प्राचार्य

कार्यालय थाना प्रभारी थाना गोविंदपुरा भोपाल म.प्र
क्रमांक-डी-474/26 दिनांक 17/06/2026

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि दिनाँक 11/06/26 को सूचक अवतार सिहं पिता महेन्द्र सिंह उम्र 39 साल नि. ए सेक्टर अन्ना नगर गोविंदपुरा भोपाल मो. 9893987278 ने थाना आकर मौखिक रिपोर्ट किया कि मैं उपरोक्त लिखाये पते पर रहता हूँ तथा रेंट पर आटो चलाता हूँ दिनांक 09/06/2026 को करीबन रात्रि 9.30 बजे मेरा भतीजा बीर सिंह पिता जसवंत सिंह उम्र 22 साल नि. सदर जो घर से बिना बताये मेरी सुजुकी MP 04 ZQ 4247 कलर सफेद से कही चला गया है। जिसकी तलाश मैने मोहल्ले व रिश्तेदारों तथा दोस्त यारो से पता किया मेरे भतीजे का कोई पता नही चला। मेरे भतीजे का हुलिया कद 5.4 फीट, शरीर दुबला पतला, चेहरा गोल, सिर के बाल हल्के काले, सफेद शर्ट व नेवी ब्लू लोवर व पैरो में चप्पल पहने है तथा दाहिने हाथ की कलाई पर बडा सा टैटू बना है। मैं मेरे भतीजे की तलाश अभी तक करता रहा नहीं मिलने पर थाना रिपोर्ट करने आया हूँ रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही की जावे कि सूचना पर गुम इंसान क्रमांक- 59/26 कायम कर जाँच मे लिया गया है।

गुमशुदा का हुलिया- कद 5.4 फीट, शरीर दुबला पतला, चेहरा गोल, सिर के बाल हल्के काले, सफेद शर्ट व नेवी ब्ल ब्लू लोवर व पैरो मे चप्पल पहने है तथा दाहिने हाथ की कलाई पर बडा सा टैटू बना है।

अतः गुमशुदा बीरसिंह की तलाश के संबंध में कोई भी जानकारी मिलती है तो कृपया थाना गोविंदपुरा भोपाल मोबाइल नं. 7049105418 व जांचकर्ता प्रआर. 2884 हेमन्त रघुवंशी मोबाइल नं. 7587627279 पर सूचित करने का कष्ट करे।

थाना प्रभारी
जी-14869/26 थाना गोविंदपुरा भोपाल (म.प्र.)